



पत्र संख्या-न0नि0 50-01/2024- 714  
प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा, भा.प्र.से.  
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (नगरपालिका)।

पटना, दिनांक- 13 मार्च, 2025

विषय:- नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 हेतु जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)  
नियुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आयोग कार्यालय आदेश संख्या-617  
दिनांक 04.03.2025 से बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 443 (2) के तहत आपको जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी (नगरपालिका) के रूप में पदाभिहित किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 443 (2) में वर्णित है कि राज्य निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन  
पदाधिकारी(नगरपालिका) की सहायता के लिए एक या एक से अधिक जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी  
(नगरपालिका) को पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट कर सकेगा, जो उप समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी से अन्यून हो।

उक्त परिप्रेक्ष्य में भारत का संविधान के अनुच्छेद 243ZA बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007  
(यथासंशोधित) की धारा-14 तथा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथासंशोधित) के नियम 92 में  
निहित शक्तियों के आलोक में आयोग द्वारा आपकी सहायता हेतु एक या एक से अधिक जिला उप निर्वाचन  
पदाधिकारी (नगरपालिका), जो उप समाहर्ता स्तर से अन्यून हो, को नियुक्त करने हेतु आपको प्राधिकृत किया  
जाता है।

परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन जिला  
निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में निर्वाचन के संचालन से संबंधित सभी कार्यों  
का समन्वय एवं पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करेंगे।

अनुरोध है कि नियुक्त जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का नाम, पदनाम एवं  
दूरभाष संख्या संबंधी सूचना निम्नांकित प्रपत्र में आयोग को दिनांक 25.03.2025 तक निश्चित रूप से उपलब्ध  
कराना सुनिश्चित किया जाये तथा आयोग के पोर्टल पर भी अपलोड किया जाए।

नामित जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का विवरण			
नाम	पदनाम	मोबाईल नं0	ई0मेल

विश्वामाजन्,  
सचिव।

पटना, दिनांक- 13 मार्च, 2025

ज्ञापांक न0नि0 50-01/2024- 714

प्रतिलिपि : आई.टी. मैनेजर को आयोग के बेवसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

पटना, दिनांक- 13 मार्च, 2025

ज्ञापांक न0नि0 50-01/2024- 714

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

पटना, दिनांक- 13 मार्च, 2025

ज्ञापांक न0नि0 50-01/2024- 714

प्रतिलिपि : सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।